(345)

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग 33 रा०(विभाग)
(मत्स्य प्रभाग)

सं0सं0–म0नि0–II–उ0यो0–42/2016–17/ /मत्स्य, राँची, दिनांक 27/02/2020

प्रेषक,

पूजा सिंघल, भा0प्र0से0
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

अनौपचारिक रुप से परामर्शित द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार*।

विषय– वित्तीय वर्ष 2016–17 में केन्द्र प्रायोजित योजना ब्लू रेभोल्यूशन योजना (राज्यांश 50 : केन्द्रांश 50) हेतु कुल राशि मो0 4600.00 लाख (छियालीस करोड़) रू0 की प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति के अन्तर्गत वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 में उपलब्ध बजट उपबंध के तहत् मो0 1413.97 लाख (चौदह करोड़ तेरह लाख सन्तानवे हजार) रु0 मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय सामान्य राज्यादेश संख्या – 08 दिनांक 24.05.2016 तथा 15 दिनांक 06.10.2016 तथा राज्यादेश सं0–23 दिनांक 29.03.2017 एवं ऑनलाईन राज्यादेश संख्या 2815 एवं 2816 दिनांक 28.03.2017 एवं राज्यादेश संख्या–04 रा0 (विभाग) दिनांक 16.11.2017 एवं ऑनलाईन राज्यादेश संख्या–2081, 2080 दिनांक 16.11.2017 तथा राज्यादेश सं0–63 रा0 (विभाग) दिनांक 20.02.2019 एवं ऑनलाईन राज्यादेश संख्या 2172 एवं 2174 दिनांक 20.02.2019 के कम में कहना है कि राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में माँग संख्या–53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में केन्द्र प्रायोजित योजना ब्लू रेभोल्यूशन योजना (राज्यांश 50 : केन्द्रांश 50) हेतु कुल राशि मो0 4600.00 लाख (छियालीस करोड़) रू0 की प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति के तहत् वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 में उपलब्ध बजट के अंतर्गत मो0 1413.97 लाख (चौदह करोड़ तेरह लाख सन्तानवे हजार) रु0 मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इस योजना अंतर्गत राज्य के विभिन्न जलाशयों में केज का अधिष्ठापन कर मछली उत्पादन किया जाएगा। आर0एफ0एफ0 कॉम्पोनेंट के अंतर्गत जलाशय अथवा नदियों में सुयोग्य स्थल पर उचित स्पेशिफिकेशन के जाल से घेरा बनाकर मछली पालन किया जाएगा। साथ ही मछुआरों के लिए पक्का आवास निर्माण का कार्य भारत सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरुप कराया जाना है।

यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसमें भारत सरकार के निदेशों के आलोक में योजना की आधी राशि भारत सरकार एवं आधी राशि राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है।

394

2. इस योजना की कुल लागत मो0 4600.00 लाख रू0 मात्र है जिसमें से राज्यांश मद से मो0 2300.00 लाख एवं केन्द्रांश मद से समतुल्य मो0 2300.00 लाख रू0 के व्यय की स्वीकृति प्राप्त है। केन्द्र सरकार के पत्र सं0 31013/30/2016–fy (3) दिनांक 09.03.2017 द्वारा इस योजना की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न रूप में दी गई है–

(राशि लाख रू0 में)

क0	कार्य	प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य	कुल राशि	केन्द्रांश	राज्यांश
क	**केज एक्वाकल्चर**				
	जलाशयों में केज अधिष्ठापन तथा प्रथम फसल इनपुट	1000 केज	3000.00	1500.00	1500.00
ख	**रिवेराईन फिश फार्मिंग/ओपेन एरिया फार्मिंग (आर0एफ0एफ0) – इनोवेटिम कॉम्पोनेन्ट**				
	आर0एफ0एफ0 / पेनं केल्चर (इनपुट सहित)	360	1080.00	540.00	540.00
ग	**आवास योजना (कल्याणकारी)**				
	मछुआरों के लिए आवास	417	500.40	250.20	250.20
घ	**आकस्मिकता**				
	आकस्मिकता व्यय		20.00	10.00	10.00
		कुल :	**4600.40**	**2300.20**	**2300.20**

3. प्रथम चरण में वित्तीय वर्ष 2016–17 में इस योजना हेतु कर्णांकित उद्व्यय एवं उपलब्ध बजट उपबंध के तहत् केज कल्चर एवं मछुआरों के लिए आवास निर्माण हेतु राज्यांश मद में मो0 690.00 लाख रू0 एवं केन्द्रांश मद में मो0 688.80 लाख रू0 अर्थात् कुल मो0 1378.80 लाख रू0 मात्र का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में केज एक्वाकल्चर, आर0एफ0एफ0 तथा आकस्मिकता व्यय सहित राज्यांश मद से मो0 779.19 लाख रु0 एवं केन्द्रांश मद से मो0 779.18 लाख रु0 व्यय किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2018–19 में केज एक्वाकल्चर तथा आर0एफ0एफ0 हेतु राज्यांश मद से मो0 125.23 लाख रु0 एवं केन्द्रांश मद से मो0 125.23 लाख रु0 व्यय किये गये हैं।

चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में बजट शीर्ष 2405–मछली पालन तथा बजट शीर्ष 4405–मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय अंतर्गत स्वीकृत बजट उपबंध में निम्न प्रकार राशि के व्यय की स्वीकृति दी जाती है, जिसके लिए योजना उद्व्यय उपलब्ध है :–

(राशि लाख रू0 में)

क्रमांक	माँग संख्या-53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष, मद एवं विपत्र कोड	मूल बजट उपबंध	स्वीकृत राशि	शेष बजट उपबंध
	मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन			
1	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-62-नई योजना-ब्लू रेभोल्यूशन योजना-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री (केन्द्रांश) 53 C 240500101620323	**358.50**	**355.006**	**3.494**
2	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-62-नई योजना-ब्लू रेभोल्यूशन योजना-विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय (केन्द्रांश) 53 C 240500101620759	**9.30**	**2.264**	**7.036**
3	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-62-नई योजना-ब्लू रेभोल्यूशन योजना-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री (राज्यांश) 53 S 240500101620323	**358.50**	**355.006**	**3.494**

4	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-62-नई योजना-ब्लू रेभोल्यूशन योजना-विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय **(राज्यांश)** 53 S 240500101620759	**9.30**	**2.264**	**7.036**
5	लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-62-नई योजना- ब्लू रेभोल्यूशन योजना-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23- आपूर्ति एवं सामग्री **(केन्द्रांश)** 53 C 240500789620323	**79.50**	**79.50**	**0.00**
6	लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-62-नई योजना- ब्लू रेभोल्यूशन योजना-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री **(राज्यांश)** 53 S 240500789620323	**79.50**	**79.50**	**0.00**
7	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना -उप शीर्ष-62-नई योजना- ब्लू रेभोल्यूशन योजना- विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री **(केन्द्रांश)** 53 C 240500796620323	**352.50**	**261.00**	**91.50**
8	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना -उप शीर्ष-62-नई योजना- ब्लू रेभोल्यूशन योजना- विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय **(केन्द्रांश)** 53 C 240500796620759	**8.10**	**1.415**	**6.685**
9	लघु शीर्ष-796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना-उप शीर्ष-62-नई योजना- ब्लू रेभोल्यूशन योजना-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री **(राज्यांश)** 53 S 240500796620323	**352.50**	**261.00**	**91.50**
10	लघु शीर्ष-796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना-उप शीर्ष-62-नई योजना- ब्लू रेभोल्यूशन योजना-विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय **(राज्यांश)** 53 S 240500796620759	**8.10**	**1.415**	**6.685**
	उप योग:	**1615.80**	**1398.370**	**217.43**
	मुख्य शीर्ष 4405-मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय			
1	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-74-ब्लू रेभोल्यूशन योजना-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य **(केन्द्रांश)** 53 C 440500101740545	**8.10**	**7.80**	**0.30**
2	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-74-ब्लू रेभोल्यूशन योजना-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य **(राज्यांश)** 53 S 440500101740545	**8.10**	**7.80**	**0.30**
	उप योग:	**16.20**	**15.60**	**0.60**
	कुल योग:	**1632.00**	**1413.97**	**218.08**

(चौदह करोड़ तेरह लाख सन्तानवे हजार) रु0 मात्र।

4. (क) जलाशयों के विस्थापित, जलाशय स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियाँ/मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के सदस्य/झारखण्ड राज्य मत्स्य सहकारी संघ (झास्कोफिश) इस योजना के लाभुक होंगे। मछुआरों के लिए पक्का आवास निर्माण हेतु योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार के निदेश के कम में कम–से–कम 10 के क्लस्टर में किया जाएगा।

3320 (विभाग)
27/02/2020

(842)

(ख) वित्तीय वर्ष 2018–19 में इस योजना की सृजित देनदारियाँ जिनका भुगतान कतिपय कारणों से लंबित रहा है, का भुगतान, विधिवत जाँचोपरांत इस राज्यादेश के अधीन किया जा सकेगा। देनदारियों का सृजन स्वीकृत कार्यों के वास्तविक निष्पादन के उपरान्त हुआ है, इसकी विधिवत समीक्षा और इसकी जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. (क) केज अधिष्ठापन एवं इनपुट, आर0एफ0एफ0 अधिष्ठापन तथा मछुआरों के लिए पक्का आवास निर्माण का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य परिशिष्ट–I में अंकित है।

(ख) किसी भी परिस्थिति में विषयगत योजना का दोहरीकरण नहीं हो।

(ग) विषयगत योजना कार्यान्वयन के क्रम में भारत सरकार द्वारा विरुपित मार्ग दर्शिका/परिपत्रों में सन्निहित निदेशों/शर्त्तों का सुदृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाय।

6. केज तथा आर0एफ0एफ0 के वित्तीय वर्ष 2018–19 तथा मछुआ आवास हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में इस योजना अंतर्गत निर्धारित मॉडल/स्पेशिफिकेशन एवं दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा तथा व्यय निश्चित रूप से इस सीमा के अधीन ही किया जायेगा।

7. मछुआरों के लिए पक्का आवास निर्माण हेतु लाभुकों का चयन कृषि प्रभाग द्वारा अधिष्ठापित सिंगल विन्डो के माध्यम से प्राप्त आवेदनों अथवा आवश्यकता अनुसार समाचार पत्रों में विज्ञापन के उपरान्त प्राप्त आवेदनों में से संबंधित जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा नये अथवा पूर्व के क्लस्टर में किया जाएगा। चयन समिति में संबंधित जिले के माननीय विधायक अथवा उनके प्रतिनिधि भी सदस्य होंगे।

योजना की मार्गदर्शिका के अनुरुप लाभुकों का चयन निम्न प्रकार से किया जाना है:

i. सक्रिय अथवा परंपरागत मत्स्य पालक/मछुआ जो मत्स्य उत्पादन/मत्स्य बीज उत्पादन/प्राकृतिक जल संसाधनों में मछली पकड़ने/मत्स्य बिक्री में सक्रिय हों।

ii. प्राथमिकता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले एवं भूमिहीन मछुआ/मत्स्य पालक को दी जायेगी।

iii. घर हेतु जमीन उपलब्ध रहने तथा कच्चा घर वालों को भी कंडिका (i) एवं (ii) के अतिरिक्त लाभान्वित किया जा सकता है। एक परिवार में एक आवास देय है। आवश्यकतानुसार पति–पत्नी के संयुक्त नाम से स्वीकृति दी जायेगी।

iv. ऐसे लाभुकों को दोबारा लाभ नहीं दिया जायेगा, जो इन्दिरा आवास या समतुल्य केन्द्र/राज्य सरकार की आवास योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। जिला मत्स्य पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में एक लाभुक के लिये योजना का दोहरीकरण नहीं हो।

v. इस योजना अंतर्गत प्रति आवास निर्माण हेतु मो0 1,20,000/–रु0 की दर निर्धारित है, जिसके विरुद्ध केन्द्र सरकार द्वारा मो0 60,000/– तथा राज्य सरकार द्वारा मो0 60,000/– रु0 मात्र का व्ययभार वहन किया जाना है। पक्का आवासों का निर्माण मछुआरों की निजी जमीन पर मानक प्राक्कलन के आधार पर लाभुकों के द्वारा स्वयं कराया जाएगा। इसके लिए एकाउन्ट स्थानान्तरण (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से लाभुक मछुआरों के बैंक खाते में राशि उपलब्ध करायी जाएगी।

vi. सक्षम प्राधिकार से चयनित लाभुकों के लिए बैंक से राशि की निकासी हेतु जिला मत्स्य कार्यालय द्वारा विमुक्ति का आदेश निम्न रुप से कार्य की प्रगति के अनुसार किया जायेगा :

(a) प्लिंथ स्तर (20%) (b) छत स्तर (15%)

(c) छत ढलाई / निर्माण (40%) (d) फिनिशिंग हेतु राशि दी जायेगी (25%)

vii. योजना स्थल का चयन, योजना की Feasibility एवं सफलता का दायित्व संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी का होगा।

viii. लाभुकों के चयन के पूर्व संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी / जिला मत्स्य पदाधिकारी एवं संबंधित क्षेत्र प्रभारी मत्स्य प्रसार पदाधिकारी / मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक स्थल की जॉच तथा लाभुकों के आवेदन में वर्णित तथ्यों की छानबीन कर संतुष्ट हो लेंगे। लाभुक की सूची / उसके फोटोग्राफ / स्थायी पता / खाता–खेसरा जिस पर आवास निर्माण हो रहा है उसका ब्यौरा पंजी में संधारित करेंगे। Ground reality से मेल नहीं पाने पर जिला मत्स्य पदाधिकारी दोषी होंगे। जिला मत्स्य पदाधिकारी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से सम्पर्क कर स्वच्छता हेतु शौचालय निर्माण का प्रयास करेंगे।

ix. लाभान्वितों के संबंध में प्रत्येक जिला मत्स्य कार्यालय में फोल्डर संधारित कर रखे जायेंगे, जिनमें उन्हें उपलब्ध कराई गई सुविधा से उनकी दशा में आये सुधार का वर्णन रहेगा। योजना के लाभुक का नाम, ब्यौरा, पूर्व, वर्तमान आवास का फोटो, अभिलेख अपने कार्यालय में संधारित करेंगे तथा जिला Web site पर भी डालेंगे।

8. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड राँची / जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, रॉंची / पलामू / गढ़वा / चाईबासा / हजारीबाग / धनबाद / बोकारो / देवघर / गोड्डा तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी, सरायकेला–खरसॉवा, सिमडेगा, रामगढ़, कोडरमा एवं पाकुड़ होंगे जो दिये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के संलग्न परिशिष्ट–I के अनुरुप राशि की निकासी दिये गये आवंटन के अंतर्गत संबंधित कोषागार से करेंगे।

9. इस योजना अंतर्गत केन्द्रांश मद में केन्द्र सरकार, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के पत्रांक 31013 / 30 / 2016–एफ0वाई0(3) दिनांक 10.08.2016 द्वारा मो0 750.00 लाख रु0 एवं पत्रांक 31013 / 30 / 2016–एफ0वाई0(3) दिनांक 09.03.2017 द्वारा मो0 1550.20 लाख अर्थात् कुल मो0 2300.20 लाख रु0 विमुक्त हैं। राज्यांश के अनुरुप केन्द्रांश मद की राशि 50:50 के अनुपात में व्यय की जायगी।

कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के पत्रांक 31013 / 30 / 2016–एफ0वाई0(3) दिनांक 18.10.2019 द्वारा पूर्व विमुक्त एवं अव्यवहृत केन्द्रांश की मो0 7,06,98,582 / –(सात करोड़ छः लाख अनठानवे हजार पॉंच सौ बेरासी) रु0 मात्र चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय हेतु पुनर्वैधिकृत है।

10. यथाउपर्युक्त कंडिका '9' में अंकित है कि भारत सरकार के उल्लिखित पत्रांक द्वारा इसे मात्र चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय के लिए पुनर्वैधिकृत किया गया है, अतः सभी संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी पुनर्आक्कलित अधिकतम् भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति करते हुये पुनर्वैधिकृत् राशि का शत्–प्रतिशत् व्यय सुनिश्चित करेंगें। इस योजना की राशि के प्रत्यार्पण नहीं होने की पूरी जिम्मेवारी संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी की होगी।

11. इस योजना अन्तर्गत सामग्री इत्यादि के क्रय में योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखण्ड द्वारा स्थापित प्रक्रिया / शर्त्तों / नियमों का सुदृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

12. वित्तीय वर्ष 2019–20 में उपलब्ध बजटीय उपबंध के अन्तर्गत ही व्यय होगा।

(340)

13. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य तथा सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग होंगे।

14. वित्तीय वर्ष 2018--19 में इस योजना में राज्यांश एवं केन्द्रांश मिलाकर (केज कल्चर एवं आर0एफ0एफ0 अधिष्ठापन हेतु पुनर्वैधिकृत राशि, निजी क्षेत्र में आर0ए0एस0 निर्माण हेतु पुनर्वैधिकृत राशि तथा नए खुदरा मत्स्य बाजार निर्माण हेतु विमुक्त राशि सहित) कुल मो0 729.54 लाख रु0 मात्र व्यय हुए हैं। नए खुदरा मत्स्य बाजार निर्माण हेतु राशि पुस्त हस्तांतरण के माध्यम से देवघर तथा जमशेदपुर जिले के कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग को उपलब्ध कराई गई है। राशि का समायोजन लंबित नहीं है। इस योजना का अद्यतन उपयोगिता प्रमाण पत्र पत्रांक 1849 दिनांक 21.08.2019 द्वारा केन्द्र सरकार को प्रेषित है।

15. विषयगत् योजनान्तर्गत विगत् वित्तीय वर्ष 2018–19 में व्यय पश्चात् प्राप्त भौतिक उपलब्धि से संतुष्ट होने के उपरांत ही निदेशक मत्स्य द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 में आवंटन निर्गत किया जाएगा।

16. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त है।

17. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

18. स्वीकृत राशि हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

26/2/20

(पूजा सिंघल)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 33 रा० (विभाग) मत्स्य / राँची, दिनांक 27/02/2020

प्रतिलिपि अनुलग्नक सहित सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/20
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 33 रा० (विभाग) मत्स्य / राँची, दिनांक 27/02/2020

प्रतिलिपि अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) तथा सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/20
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 33 रा० (विभाग) मत्स्य / राँची, दिनांक 27/02/2020

प्रतिलिपि अनुलग्नक सहित योजना–सह–वित्त विभाग (बजट शाखा एवं योजना शाखा) झारखण्ड, राँची/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त/ सभी उप विकास आयुक्त/ माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

26/2/20
सरकार के सचिव

FM- 21.10.2019

परिशिष्ट–।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में केन्द्र प्रायोजित ब्लू रिभोल्यूशन योजना का भौतिक (संख्या में) एवं वित्तीय (लाख रु0 में) लक्ष्य

मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन–उप शीर्ष –62–नई योजना–ब्लू रेभोल्यूशन योजना

क0	जिला	लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना								लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना									लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन									केन्द्रांश से कुल व्यय	राज्य योजना से कुल व्यय
		आपूर्ति एवं सामग्री								आपूर्ति एवं सामग्री					अन्य व्यय				आपूर्ति एवं सामग्री					अन्य व्यय					
		केज अधिष्ठापन		केज इनपुट पर व्यय	आर0एफ0 एफ0 इनपुट सहित		कुल वित्तीय लक्ष्य	केन्द्रांश से व्यय	राज्य योजना से व्यय	केज अधिष्ठापन		केज इनपुट पर व्यय	आर0एफ0 एफ0 इनपुट सहित			कुल वित्तीय लक्ष्य	केन्द्रांश से व्यय	राज्य योजना से व्यय	केज अधिष्ठापन		केज इनपुट पर व्यय	आर0एफ0 एफ0 इनपुट सहित			कुल वित्तीय लक्ष्य	केन्द्रांश से व्यय	राज्य योजना से व्यय		
		भौ0ल0	वि0ल0	वि0ल0	भौ0ल0	वि0ल0				भौ0ल0	वि0ल0	वि0ल0	भौ0ल0	वि0ल0	वि0ल0				भौ0ल0	वि0ल0	वि0ल0	भौ0ल0	वि0ल0	वि0ल0					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	राँची	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	20	49.800	10.200	12	36.000	0.566	96.566	48.283	48.283	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	48.283	48.283
2	सिमडेगा	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	10	24.900	5.100	6	18.000	0.566	48.566	24.283	24.283	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24.283	24.283
3	पलामू	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	15	37.350	7.650	5	15.000	0.566	60.566	30.283	30.283	30.283	30.283
4	गढ़वा	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10	24.900	5.100	5.7	17.012	0.566	47.578	23.789	23.789	23.789	23.789
5	चाईबासा	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	25	62.250	12.750	6	18.000	0.566	93.566	46.783	46.783	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	46.783	46.783
6	सरायकेला	10	24.900	5.100	0	0.000	30.000	15.000	15.000	80	199.200	40.800	5	15.000	0.566	255.566	127.783	127.783	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	142.783	142.783
7	हजारीबाग	11	27.390	5.610	0	0.000	33.000	16.500	16.500	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	56	139.440	28.560	5	15.000	0.566	183.566	91.783	91.783	108.283	108.283
8	रामगढ़	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	30	74.700	15.300	5	15.000	0.566	105.566	52.783	52.783	52.783	52.783
9	कोडरमा	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	30	74.700	15.300	5	15.000	0.566	105.566	52.783	52.783	52.783	52.783
10	बोकारो	10	24.900	5.100	0	0.000	30.000	15.000	15.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20	49.800	10.200	0	0.000	0.566	60.566	30.283	30.283	45.283	45.283
11	धनबाद	10	24.900	5.100	0	0.000	30.000	15.000	15.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	15	37.350	7.650	10	30.000	0.566	75.566	37.783	37.783	52.783	52.783
12	देवघर	12	29.880	6.120	0	0.000	36.000	18.000	18.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20	49.800	10.200	5	15.000	0.566	75.566	37.783	37.783	55.783	55.783
13	पाकुड़	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	10	24.900	5.100	0	0.000	0.566	30.566	15.283	15.283	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	15.283	15.283
	उप योगः	**53**	**131.970**	**27.030**	**0**	**0.000**	**159.000**	**79.500**	**79.500**	**145**	**361.050**	**73.950**	**29**	**87.000**	**2.830**	**524.830**	**262.415**	**262.415**	**196**	**488.040**	**99.960**	**40.7**	**122.012**	**4.528**	**714.540**	**357.270**	**357.270**	**699.185**	**699.185**

मुख्य शीर्ष–4405–मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय–उप शीर्ष –74–ब्लू रेभोल्यूशन योजना

क0	जिला	लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना				लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना				लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन				केन्द्रांश से कुल व्यय	राज्य योजना से कुल व्यय
		निर्माण कार्य				निर्माण कार्य				निर्माण कार्य					
		मछुआ आवास निर्माण		केन्द्रांश से व्यय	राज्य योजना से व्यय	मछुआ आवास निर्माण		केन्द्रांश से व्यय	राज्य योजना से व्यय	मछुआ आवास निर्माण		केन्द्रांश से व्यय	राज्य योजना से व्यय		
		भौ0ल0	वि0ल0			भौ0ल0	वि0ल0			भौ0ल0	वि0ल0				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	देवघर	0	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0.000	10	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	गोड्डा	0	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0.000	3	3.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	उप योगः	**0**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**13**	**15.600**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
			कुल योगः(वित्तीय):	**79.500**	**79.500**			**262.415**	**262.415**			**365.070**	**365.070**	**706.985**	**706.985**

(पूजा सिंघल)
सरकार के सचिव